problem and to work out inter-state agreements for the allocation and development of Yamuna waters.

(b) Yamuna water is proposed to be allocated by safeguarding the present utilisation of the Basin States, and allocating the balance waters to meet their drinking water needs.

इज़रायल की पद्धति पर सिंचाई योजना का शुरू किया जाना

2989. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इज़राइल की तरह सिंचाई योजना शुरू करने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस "ड्रिप" योजना की मुख्य विशेषतायें क्या-क्या हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) केन्द्र सरकार का बिल्कुल इजरायल पद्धति पर सिंचाई स्कीम लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इज़रायल में व्यापक आधार पर उपयोग की जा रही ड्रिप सिंचाई स्कीम भी जल तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार हमारे देश में जोर पकड़ रही है। बागवानी फसल के उत्पादन/उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ड्रिप सिंचाई पर केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान 15.55 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित की जा रही है। कृषि मंत्रालय ने लघु/सीमान्त कृषकों जिसमें लघु/सीमान्त कपास उगाने वाले खेतिहरों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली शामिल है को सहायता देने के कार्यक्रम के अंतर्गत कई स्कीमों को शुरू करने के वास्ते राज्य सरकारों को 500 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

कृष्णा-कोयना परियोजना का पूरा किया जाना

2990. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार कृष्णा-कोयना परियोजना को पूरा करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो तो उसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) मार्च, 1992 के अन्त तक कृष्णा-कोयना लिफ्ट सिंचाई स्कीम पर 293.27 करोड़ रुपए की नवीनतम अनुमानित लागत के मुकाबले 36.81 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। योजना आयोग ने आठवीं योजना के लिए 75 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है। वर्ष 1992-93 के दौरान संभावित व्यय 9.38 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार ने वर्ष 1993-94 के लिए 30 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है।

बिहार को सिंचाई राशि का आबंटन

2991. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में सिंचाई राशि बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) बिहार सरकार से, सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने हेतु केन्द्र में कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केन्द्र में यह निर्णय किया गया है कि राज्यों की वार्षिक योजनाओं में सिंचाई परियोजनाओं के लिए किये गए प्रावधान का सख्ती से प्रबोधन किया जाए ताकि परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।

Issuance of Irrigation Bonds

2992. SHRI VISHNU KANT SHASTRI:
SHRI RAM RATAN RAM:
DR. NAUNIHAL SINGH:
DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government have not agreed to the request of Maharashtra and other State Governments for issue of irrigation bonds; and

(b) what are the reasons therefor and how does the Central Government propose to help the State Governments in financing their increasing irrigation needs? -

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V.C. SHUKLA): (a) and (b) Yes, Sir. As the Total investible resources for the market borrowing programme, both for the Central and State Governments, is limited, there is no scope for allowing any additional allocation to Maharashtra Government over and above the borrowing programme as already approved. However, it has been decided to allow State level public sector undertakings to issue bonds in conformity with the guidelines of Securities and Exchange Control Board of India. For expenditious completion of some of the nationally important irrigation projects in the country, it was contemplated to provide special Central assistance to the States during the Eighth Plan period; Due to resources constraints, the Planning Commission could not accept the proposal and has suggested that the issue of funding for the national projects be first-discussed with the States as the overall national resource availability for irrigation sector is not going to change thereby.

Completion of Rajghat and Bansagar Project

2993. SHRI RAM RATAN RAM: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) what is the revised target date of completion of Rajghat and Bansagar Inter-State projects;

(b) what action is being taken by the Central Government for providing adequate funds;

(c) whether a time bound programme has been prepared for payment of land compensation and rehabilitation of oustees; and

(d) if so, the progress achieved so far in this regard?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V.C. SHUKLA): (a) As per revised targets Rajgat Dam *Project and Rajghat Hydro-Eletric* Project are scheduled to be completed by August, 1994 and Bansagar Dam Project upto Crest level by June, 1995 and complete with gates by June, 1998.

(b) The funds for the Rajghat Dam Project and Rajghat Hydro-Electric Project are provided by the State Government of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh in the ratio of 1:1. The funds for the Bansagar Project are provided by the State Governments of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar in the ration of 2:1:1. This Ministry has taken up with the concerned States expeditious release of their share.

(c) Yes, Sir,

(d) On Rajghat Dam Project an area of 18607 hectares out of a total area of 2S353 hectares has been acquired and an expenditure of Rs. 25.76 crores has been incurred towards land aquisition and rehabilitation upto October, 1992.

On Bansagar Dam Project an area of 18129 hectares out of a total area of 34764.84 hectares has been acquired and an expenditure of Rs. 87.18 crores has been incurred towards land acquisition and rehabilitation till October, 1992.

सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु गुजरात को वित्तीय सहायता

2994. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में लघु, मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है;